रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042020-219224 CG-DL-E-29042020-219224

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209] No. 209] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 29, 2020/वैशाख 9, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 29, 2020/VAISAKHA 9, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2020

सा.का.नि. 268(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 149 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 का और संशोधन करने हेत् निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:-

- 1. (1) ये नियम कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) दूसरा संशोधन नियम, 2020 हैं।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 6 में, उप-नियम (1) में, खंड (क) में, "पाँच माह" शब्दों के स्थान पर "सात माह" शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं. 8/4/2018-सीएल-I, पार्ट-1]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में तारीख 31 मार्च, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 259(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसमें दिनांक 28 फ़रवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 145(अ) के माध्यम से अंतिम बार संशोधन किया गया था।

1916 GI/2020 (1)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2020

G.S.R. 268 (E). — In exercise of the powers conferred by section 149 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Second Amendment Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, in rule 6, in sub-rule (1), in clause (a), for the words "five months" the words "seven months" shall be substituted.

[F. No. 8/4/2018-CL-I- Part I]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 259(E), dated the 31st March, 2014 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 145 (E), dated the 28th February, 2020.